

## छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग- दो

सोमवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 (पौष 09, 1935)

### सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी माननीय राज्यपाल महोदय का आदेश

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य विधान सभा को संविधान के अनुच्छेद 179 के द्वितीय परंतुक के अनुसरण में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने हेतु तब तक के लिये सामयिक अध्यक्ष नियुक्त किया है जब तक कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो एवं अनुच्छेद 188 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नव निर्वाचित सदस्यों की शपथ दिलाने हेतु नियुक्त किया गया है।

देवेन्द्र वर्मा  
प्रमुख सचिव.